

आदेश नं. बालाजी गिनरल्ल्स सी. लिमिटेड मुमूय सी.आई.ए.एस. जिला कलकटर पूर्व जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 888/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेसन)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड काका कार्यालय मुनीय बज, जे एस ई.एल. विटिबंम, मालवीय नगर,
जयपुर।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री बालाजी गिनरल्ल्स
2. महालक्ष्मी गिनरल्ल्स

पता :- आदमा बज, 808, ओके प्लस टॉवर, कल्याण जैलर्स के पास, सर्वसेन्ट्रल हॉस्पिटल के सामने,
जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं सप्लायर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

श्री उमेश कुमार जागिड अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.02.2023 को पूर्णपूर्णाता हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री बालाजी गिनरल्ल्स के स्वामित्व की बल सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 14 GP 8585 ईजन नम्बर 22M64256644 चैसीस नम्बर MATH2025NAP13854 बौडी टाईप OPEN TRAILER मॉडल TATA SIGMA 5530.5B8VI4X2 को हाईपोथिकेट रख कर राशि 41,77,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथिकेट सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को मौर से सूना गया। पत्रावली का गलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 41,77,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राथी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल राशि 30,55,200.94/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.01.2025 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्राधानों के तहत वित्तीय संस्था हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है

को नोटिस
कलकटर) जयपुर

एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक राशय पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री बालाजी मिनरल्स के स्वामित्व की हाईपोथिकेटेड चल सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 14 GP 8585 इंजन नम्बर 22M64256644 चैसीस नम्बर MAT8202SNAP13854 बॉडी टाईप OPEN TRAILER मॉडल TATA SIGNA 5530.SBSVI4X2 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त चल सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रारब्ध करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. अधिसूचना आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर
3544-45
24/9/25